अनुबंध-III

सीआईएसबीआई के उपयोग पर वाणिज्यिक बैंकों के लिए दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक, विनियामक विभागों [अर्थात आरबीआई में बैंकिंग विनियमन विभाग (डीबीआर) और सहकारी बैंक विनियम (डीसीबीआर) विभाग)] द्वारा जारी किए गए मौजूदा शाखा प्राधिकरण परिपत्रों के संदर्भ में बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए सभी बैंकिंग आउटलेट्स/ कार्यालयों के सूचनात्मक और व्यावसायिक गतिविधि विवरणों पर सूचना डेटाबेस को बनाए रखने के लिए मास्टर ऑफिस फ़ाइल (एमओएफ) प्रणाली का उपयोग कर रहा है। बुनियादी सांख्यिकीय रिटर्न (बीएसआर) कोड (भाग- I और भाग- II) एमओएफ़ प्रणाली के माध्यम से आवंटित किए गए हैं। इसका उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल (https://dbie.rbi.org.in) के तहत शाखा लोकेटर पर जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग बैंकों/ आम जनता द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है।

शाखा लाइसेंसिंग और वित्तीय समावेशन नीतियों के साथ-साथ अतिरिक्त आयामों/ सुविधाओं की आवश्यक कवरेज की आवश्यकता के अनुरूप, एमओएफ़ प्रणाली को एक नए वेब-आधारित ***"सेंट्रल इंफोर्मेशन सिस्टम फॉर बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर" (सीआईएसबीआई")*** द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक में बैंक शाखा सांख्यिकी प्रभाग (बीबीएसडी) सीआईएसबीआई की नोडल इकाई होगी और अन्य आरबीआई विभागों, बैंकों, एआईएफ़ और हितधारकों के साथ समन्वय करेगी।

नई प्रणाली के तहत, बैंक, बैंकिंग आउटलेट [पक्की इमारती (बी और एम) शाखा और फिक्स्ड-पॉइंट बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) आउटलेट], कार्यालय, एनएआईओ, अन्य निश्चित ग्राहक सेवा केन्द्रों (सीएसपी) (जैसे, एटीएम, अन्य ग्राहक सेवा) से संबंधित जानकारी को सीआईएसबीआई में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नई प्रणाली में कई संवर्द्धन हैं जैसे: (क) भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं, सहकारी बैंकों, एटीएम, एडी-श्रेणी, फिक्स्ड-पॉइंट बैंकिंग प्रतिनिधि (बीसी) आउटलेट्स और केंद्रों में हब-स्पोक मॉडल के तहत सेवा; (ख) आउटलेट्स की भौगोलिक स्थिति; (ग) बहुसंख्य बैंक-कोड (बीएसआर, आईएफएससी और एमआईसीआर) की मैपिंग; (घ) अनुमोदन / लाइसेंस / सुविधाओं पर बैंक स्तर की जानकारी और (ड.) नए व्यापार मॉडल की मापनीयता। सीआईएसबीआई एक्सेस करने के लिए, प्रत्येक बैंक को दो प्रकार की यूजर आईडी आवंटित की जाती है: (i) "बैंक एडमिन आईडी" और (ii) " बैंक यूजर आईडी "। आरबीआई (डीएसआईएम-बीबीएसडी) प्रत्येक बैंक के लिए एकल "बैंक एडमिन आईडी" बनाएगा, जो स्वयं कई "बैंक उपयोगकर्ता आईडी" बना सकता है। बैंक "बैंक एडमिन आईडी" का उपयोग करके अपने बैंक से संबंधित जानकारी को अद्यतन कर सकते हैं और नए बैंकिंग आउटलेट या मौजूदा बैंकिंग आउटलेट्स/ कार्यालय/ एनएआईओ/ सीएसपी/ की स्थिति/ पते, बंद होने/ विलय/ रूपांतरण/ स्थानांतरण/ स्थान बदलने/ उन्नयन, आदि में दोनों आईडी का उपयोग करके किसी भी बदलाव को रिपोर्ट कर सकते हैं। हालाँकि, केवल "बैंक एडमिन आईडी" (और "बैंक यूजर आईडी" नहीं) उनके बैंक से संबंधित जानकारी में परिवर्तन कर सकते हैं।

वाणिज्यिक बैंक सीआईएसबीआई में स्वत: प्रोफार्मा जमा कर सकेंगे और जानकारी को मान्य और अनुमोदित कर सकेंगे। "बैंक एडमिन आईडी" प्राप्त करने के लिए, एक बैंक को एक अधिकृत ईमेल आईडी प्रदान करनी चाहिए, जिस पर आरबीआई (डीएसआईएम-बीबीएसडी) "बैंक एडमिन आईडी" और उसके पासवर्ड को दो अलग-

अलग ईमेलों में अग्रेषित कर सके। सीआईएसबीआई रिपोर्टिंग को एक्सेस करने की मांग करने वाले बैंकों को, इस उद्देश्य के लिए आरबीआई (डीएसआईएम –बीबीएसडी) से संपर्क करना चाहिए।

1. सीआईएसबीआई में खाता खोलने और बैंक कोड प्रदान करने के लिए, बैंक के अनुरोध पत्र में लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्राप्त करने के लिए बैंक के नोडल व्यक्ति का विवरण, ईमेल आईडी का विवरण और कुछ मूल दस्तावेज प्रदान करने चाहिए:

<u>क. विदेशी बैंकों के लिए</u>

क. कंपनियों के रजिस्ट्रार से निगमन का प्रमाण पत्र;
ख. बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए डीबीआर, आरबीआई, के.का से प्राप्त लाइसेंस/ प्राधिकार पत्र, कवरिंग पत्र (नियम और शर्तों सहित) के साथ;
ग. भारत में व्यापार शुरू करने का पत्र;
घ. संस्था के बहिर्नियम की एक प्रति;
ड. संस्था के अंतर्नियम की एक प्रति; तथा
च. वाणिज्यिक बैंकों की सूची से सभी दस्तावेज और इसके अलावा बैंक का एक प्रमाण पत्र जो यूएस $ 25 मिलियन के पूंजीकरण की पुष्टि करता है।

ख. **<u>अन्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए</u>**

क. कंपनियों के रजिस्ट्रार से निगमन का प्रमाण पत्र;

ख. अपने कवरिंग पत्र (नियम और शर्तों सहित) के साथ आरबीआई (डीबीआर) से बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस/ प्राधिकरण;
ग. भारत में व्यापार शुरू करने का एक पत्र;
घ. व्यवसाय की शुरुआत के बारे में डीबीआर द्वारा प्रेस विज्ञप्ति;
ड. संस्था के बहिर्नियम की एक प्रति ; तथा
च. संस्था के अंतर्नियम की एक प्रति

2. ऊपर उल्लेख किए गए दस्तावेजों के आधार पर, आरबीआई (डीएसआईएम-बीबीएसडी) सिस्टम में अपना "मूल विवरण" भरकर सीआईएसबीआई प्रणाली में बैंक का खाता खोलेगा।

3. सिस्टम "बैंक एडमिन आईडी" सृजित करेगा और स्वचालित रूप से बैंक के नामित ईमेल आईडी पर "बैंक एडमिन आईडी" और उसके पासवर्ड (दो अलग-अलग ईमेल में) की ईमेल सूचना भेजेगा।

4. बैंक को अपने आवंटित “बैंक एडमिन आईडी” का उपयोग करके सीआईएसबीआई पोर्टल (https://cisbi.rbi.org.in) पर लॉगिन करना चाहिए और पहले लॉगिन पर आवंटित पासवर्ड को बदलना चाहिए।

5. बैंक को अपने बैंक से संबंधित सभी जानकारी को भरना चाहिए जिसमें लाइसेंस विवरण, पंजीकृत कार्यालय का पता, मुख्य कार्यालय, कॉर्पोरेट कार्यालय, सीआईएसबीआई रिपोर्टिंग के लिए अधिकृत अधिकारी आदि का

विवरण शामिल हैं और अध्यक्ष, सीएमडी, एमडी, अनुपालन अधिकारियों, अधिकृत अधिकारी का संपर्क विवरण सीआईएसबीआई रिपोर्टिंग, आदि विवरण भी शामिल है। इसके बाद जानकारी प्रस्तुत और प्रकाशित करें।

6. अपने बैंक से संबंधित पूरी जानकारी प्रस्तुत करने के बाद सीआईएसबीआई बैंक-कोड और बैंक कार्य कोड प्रदान करेगा।

7. बैंक/ बैंक कार्य कोड प्राप्त करने के बाद, बैंक अपने आंतरिक उपयोगकर्ताओं के लिए "बैंक यूजर आईडी" बना सकते हैं। "बैंक उपयोगकर्ता आईडी" का प्रबंधन बैंक की ही जिम्मेदारी होगी।

8. बैंक अपने नए बैंकिंग आउटलेट से संबंधित जानकारी "बैंक एडमिन आईडी" या "बैंक यूजर आईडी" के माध्यम से लॉगिन करके प्रोफॉर्मा के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं।

9. मौजूदा जानकारी में किसी भी परिवर्तन की रिपोर्ट करने के लिए, बैंकों को मौजूदा जानकारी को साझा करना चाहिए और परिवर्तन की प्रभावी तिथि को दर्शाना चाहिए।

10. बैंक अपने बैंक से संबंधित डेटा एक्सेस/ डाउनलोड करने के लिए भी इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

11. " प्रोफॉर्मा भरने के निर्देश" अनुबंध II में दिए गए हैं।

12. बैंक को हर तीन महीने में अनिवार्यत: पासवर्ड रीसेट करना होगा। यदि उनका पासवर्ड निष्क्रिय हो जाता है या भूल जाता है, तो वे "बैंक यूजर आईडी" के पासवर्ड को रीसेट करने के लिए सीआईएसबीआई और (क) "बैंक एडमिन आईडी" का उपयोग कर सकते हैं और (ख) "बैंक यूज़र आईडी" का पासवर्ड रीसेट करने के लिए सीआईएसबीआई हेल्पडेस्क "से संपर्क कर सकते हैं।

13**. शून्य रिपोर्ट**: शून्य रिपोर्ट बैंक की स्थिति को सीआईएसबीआई में दिखाएगी, यानी महीने के अंतिम दिन कुल कार्यरत बैंकिंग आउटलेट/ (पक्की इमारती शाखा/ फिक्स्ड पॉइंट बीसी आउटलेट), कार्यालय, एनएआईओ और अन्य स्थायी ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) (एटीएम, अन्य ग्राहक सेवा, आदि) और महीने के दौरान नए और बंद बैंकिंग आउटलेट की कुल संख्या दिखाएगी। सीआईएसबीआई से ही रिपोर्ट तैयार की जाएगी और बैंक प्रमाणित करेगा कि सीआईएसबीआई में उनकी जानकारी सही और अद्यतन है। यदि किसी बैंक को सीआईएसबीआई द्वारा उत्पन्न "शून्य रिपोर्ट" और उनकी वास्तविक स्थिति में कोई अंतर दिखाई देता है, तो उन्हें पहले बैंकिंग चैनलों को खोलकर या बंद करके या बदलकर सीआईएसबीआई में जानकारी को अद्यतन करना चाहिए, फिर "शून्य रिपोर्ट" उत्पन्न करना चाहिए और इसे सीआईएसबीआई के माध्यम से ही प्रस्तुत करना चाहिए (हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं है)।

14. बैंक संदर्भ तिथि के एक सप्ताह के भीतर (अर्थात अगले महीने की 7 तारीख तक) प्रत्येक माह के लिए "शून्य रिपोर्ट" प्रस्तुत करेंगे।